APP-A
Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा
रजनी शर्मा बनाम सरकार
किस्म मुकदमा 136 नं. 54 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
3/12/24	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी रजनी शर्मा की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री राम विलास साहू बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 06.12.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	
6/12/24	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 252 रकबा 0.66 है0, खसरा नं0 682 रकबा 1.39 है0, खसरा नं0 683 रकबा 0.39 है0 एवं खसरा नं0 713 रकबा 0.24 है0 कुल किता 4 रकबा 2.68 है0 की भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया व उसकी पुत्री तथा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थीया का 49/192 हिस्सा एवं प्रार्थीया की पुत्री शिल्पा पुत्री दिनेश का 1/12 एवं 1/192 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीया की पुत्री शिल्पा को 1/12 हिस्से की भूमि अपने पिता स्व0 दिनेश शर्मा की मृत्यु के बाद दर्ज हुआ है तथा 1/192 हिस्से की भूमि शिल्पा शर्मा को उसके दादा जी गिरजा शंकर जी की मृत्यु के बाद प्राप्त हुई है। प्रार्थीया ने अपने 49/192 हिस्से के 33/98 हिस्से की यानी सम्पूर्ण आराजी के 33/384 हिस्से की भूमि का हक त्याग अपनी पुत्री व सहखातेदारान शिल्पा पुत्री स्व0 दिनेश के नाम आलेखित कर पंजीयन करवाया गया है। प्रार्थीया की पुत्री शिल्पा पुत्री स्व0 दिनेश का उक्त राजस्व रिकार्ड में दो नाम के स्थान पर एक ही नाम अंकित किया जाकर उसके नाम दोनों हिस्से की भूमि को एक साथ जोड कर अंकित किया जाना आवश्यक हो गया है। ताकि प्रार्थीनी द्वारा आलेखित हक त्याग पत्र का इंतकाल खुल सके। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा अलग अलग समय पर खोले गये नामान्तरण से दो जगह शिल्पा का नाम दर्ज इन्द्राज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 252 रकबा 0.66 है0, खसरा नं0 682 रकबा 1.39 है0, खसरा नं0 683	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

रकबा 0.39 है0 एवं खसरा नं0 713 रकबा 0.24 है0 कुल किता 4 रकबा 2.68 है0 की भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया की पुत्री शिल्पा पुत्री दिनेश कुमार का नाम दोनो हिस्सों को मिला कर एक ही नाम दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट में कथन किया गया है कि उक्त इंद्राज ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया द्वारा हुआ है। पूर्व नामान्तरण संख्या 349 दिनांक 15.01.2009 एवं नामान्तरण संख्या 728 दिनांक 16.10.2018 से खातेदार शिल्पा पुत्री दिनेश कुमार के नाम क्रमशः हिस्सा 1/12 एवं 1/192 दर्ज रिकॉर्ड हुआ। अतः मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड/नामांतकरण शिल्पा पुत्री दिनेश एवं शिल्पा पुत्री दिनेशकुमार एक ही व्यक्ति होने से हिस्से 1/12 एवं 1/192 को जोड़ा जाकर एक ही नाम दर्ज किया जाना उचित होगा। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र एवं तहसील रिपोर्ट प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं0 252 रकबा 0.66 है0, खसरा नं0 682 रकबा 1.39 है0, खसरा नं0 683 रकबा 0.39 है0 एवं खसरा नं0 713 रकबा 0.24 है0 कुल किता 4 रकबा 2.68 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज शिल्पा पुत्री दिनेश कुमार का नाम दोनो हिस्सों को मिला कर एक ही नाम दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 6/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

6/12/24

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय ... कोटा